आदेश फलक (1)

कार्यालय, अँचल अधिकारी, कुंडहीत (जामताड़ा)

विविध वाद सं० 01 / 2022-23

28/06/22 अभिलेख उपस्थापित

रा० उप निरीक्षक, अँचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बाघाशोला थाना नं० 32 के खाता सं० 09 के दाग सं० 17 एवं दाग सं० 24 में अनिता राय पति सुबोध राय एवं राधिका राय पति स्व० दुलाल राय के द्वारा प्रधान मंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है। अमीन नापी प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है कि दाग सं० 17/A रकबा 02½ डी० भूमि पर सुबोध राय पिता श्यामलाल राय ग्राम बाघाशोला के द्वारा प्रधान मंत्री आवास निर्माण का कार्य ढलाई लेवेल तक किया गया है। साथ ही रा० उप० नि० एवं अँ० नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रधान मंत्री आवास सुबोध राय पिता श्याम लाल राय ग्राम बाघाशोला के नाम से स्वीकृत है।

रा० उप० नि० एवं अँचल निरीक्षक ने ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रस्तुत किया है कि सुबोध राय ने जो कागजात प्रस्तुत किया है उसके अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के R.E. case No 62/86-87 में मौजा बाघाशोला थाना नं० 32 में जमाबंदी नं० 09 के RT जगत राय के पुत्र बड़ा अधानु राय के एक मात्र पुत्री चुनी धरवालीन है, के नाम से 32 एकड़ी मामला में भूमि को यथावत वापस की गई है। कोई अमीन के द्वारा चुनी धरवालीन के नाम से भूमि को वासगाड़ी भी किया गया है।

पुनः उक्त उच्छेदी भूमि मामला को लेकर उपायुक्त, जामताड़ा के न्यायालय में अपील दायर किया गया है जिसका अपील नं० 11/1911-92 है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा (Lower court) के आदेश को बरकरार रखा गया है।

पुनः विषयांकित भूमि को लेकर माननीय आयुक्त महोदय संथाल परगणा, में दुमका में प्रथम पक्ष के द्वारा अपील दायर किया गया है जिसका अपील नं० 102/08-09 है। रा० उप० नि० एवं अँ० नि० ने पुनः दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना विषयांकित भूमि संबंधी कागजातों को प्रस्तुत करने हेतु अनुशंसा की है।

अतः उभय पक्षों को अपना अपना विषयांकित भूमि का कागजात जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

[signature] 14.6.22
लेखापित

लेखापित

[signature]
28/6/22

अँचल अधिकारी
कुंडहीत।

14.07.22 अभिलेख उपस्थापित।

अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 304 दिनांक 28/6/2022 के द्वारा उभय पक्षों को जारी किए गए नोटिस के आलोक में आज दिनांक 14.07.20 को उभय पक्षों के द्वारा अपना अपना विषयांकित भूमि का कागजात

Scanned by CamScanner

कागजात प्रस्तुत किया गया।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषयांकित कागजातों का अवलोकन किया और रा.उप.नि. तथा अँचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन की जाँच प्रतिवेदन को सही पाते हुए इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि चूँकि विषयांकित भूमि का मामला वर्तमान में आयुक्त, संथाल परगणा, दुमका में चल रही है। चूँकि यह मामला अभी इस न्यायालय के उपर के न्यायालय में चल रही है इसलिए बिना आयुक्त संथाल परगणा, दुमका के न्यायालय से इस वाद की सुनवाई (फैसला) नहीं हो जाती है तब तक विषयांकित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य न्याय संगत नहीं होगा। अतः वाद की कारवाई समाप्त (संचिकास्त) की जाती है।

लेखापित

Prasad
14.7.22

लेखापित

Prasad
14.7.22

अंचल अधिकारी
कुंडहीत।

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2023.09.22 12:52:17 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned by CamScanner